भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1480
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

पशुपालन अवसंरचना

1480. श्री बापी हलदरः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पशुपालन अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय क्या हैं;

(ख) किसानों को सहायता देने और पशुपालन क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं अथवा पहलें क्या हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने पशुपालकों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे बीमारियों के फैलने, चारे की कमी या पशु चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, पशु आहार संयंत्रों, पशुधन फार्मों, नस्ल सुधार अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए (क) अवसंरचना विकास निधि, (ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन, (ग) राष्ट्रीय गोकुल मिशनऔर (घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। उपर्युक्त, योजनाएं पशुधन क्षेत्र में शामिल किसानों को निम्नलिखित तरीकों से लाभान्वित करने के लिए लक्षित हैं:

(i) एनएलएम के अंतर्गत, उद्यमिता कार्यक्रम (NLM-EDP) एक प्रमुख घटक है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), स्वयं-सहायता समूहों (SHG), संयुक्त देयता समूहों (JLG), किसान सहकारी संगठनों (FCO) और धारा 8 कंपनियों को 50.00 लाख रुपये तक की50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी ग्रामीण पोल्ट्री फार्म, भेड़/बकरी, सुअर, ऊँट, घोड़ा, गधा प्रजनन फार्म, साथ ही चारा मूल्यवर्धन इकाइयाँ जैसे हे, साइलेज, कुल मिश्रित राशन (TMR), चारा ब्लॉक और चारा बीज प्रसंस्करण, ग्रेडिंग और भंडारण इकाइयों की स्थापना में सहायता करती है।

(ii) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): आरजीएम का कार्यान्वयन देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए किया जाता है।

(iii) **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)**: एनपीडीडी निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वितकिया जा रहाहै:

(i) **एनपीडीडी का घटक ''क''**राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (SHG)/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

(ii) **एनपीडीडी योजना का घटक ''ख''** "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा सहायता प्राप्त है, जिसका उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली कंपनियों की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

(iv) अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत, निम्नलिखित दो योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं:

(क) **डेयरी कार्यकलापों में संलग्न डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO):** राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और शीघ्र चुकौती पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता प्रदान करना।

(ख) **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):** एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक बेहतर पहुँच प्रदान की जाती है।

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सहितराज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार,आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण अनुबंध । में दिया गया है।

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार **पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)** क्रियान्वित कर रही है: जिसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में किफायती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है। इस योजना में खुरपका-मुँहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट (PPR), क्लासिकल स्वाइन ज्वर (CSF) जैसी बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए प्राथमिकता के अनुसार आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य रोगों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

पशु चिकित्सा सेवाओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएँ पहुँचाने हेतु वर्ष 2021-23 के दौरान 4019 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (MVU) उपलब्ध कराई हैं। इस एलएचडीसीपी (LHDCP) योजना के तहत, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन मोबाइल इकाइयों को चलाने के लिए साझा आधार पर बजटीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, केंद्र सरकार ने पशुपालकों द्वारा सामना किए जाने वालेरोगों के प्रकोप और पशु चिकित्सा सेवाओं की कमी से निपटने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं, पशुपालन और डेयरी विभाग, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की सूची इस प्रकार है:

1. प्रभावित क्षेत्र की पहचान और अधिसूचना, प्रभावित पशुओं को अलग करने और जैव सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन, पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध आदि के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ (NAP)।
2. निश्चित समय-सीमा में रोग के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एवियन इन्फ्लूएंजा, ग्लैंडर्स, अफ्रीकन स्वाइन ज्वर, लम्पी त्वचा रोग जैसे पशु रोगों पर परामर्शियां।

3. त्वरित नियंत्रण और शमन सुनिश्चित करते हुए पशु रोगों के प्रकोप के प्रबंधन और प्रतिक्रिया के लिए पशुधन रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना (CMP)।
4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण को बढ़ाने के लिए पशु चिकित्सा देखभाल में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए 'मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशानिर्देश (SVTG)।
5. महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु महामारी निधि परियोजना शुरू की गई।
6. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), वन्यजीव तथा पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के सदस्यों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल (NJORT) का गठन किया गया है ताकि भविष्य की तैयारियों के लिए संयुक्त जांच और सुझाव दिए जा सकें।
7. पशु शव और पशु अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान के लिए शव निपटान और कीटाणुशोधन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

चारे की कमी की समस्या से निपटने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार देश भर में चारे के विकास के उद्देश्य से कई पहलों पर काम कर रही है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना चला रही है, जिसमें आहार और चारा विकास पर केंद्रित एक उप-मिशन भी शामिल है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूरे देश में संचालित की जा रही है। आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन के निम्नलिखित घटक हैं:

(i) गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन हेतु सहायता
(ii) आहार और चारा से संबंधित उद्यमिता कार्यकलाप
(iii) चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई/चारा बीज भंडारण गोदाम) के लिए उद्यमी तैयार करना
(iv) ''गैर-वनीय बंजर भूमि/रेंज भूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन” और “वन भूमि से चारा उत्पादन''

इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से चारा खेती के क्षेत्रों को बढ़ाने और राज्यों और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के अभिसरण के लिए चारा टास्क फोर्स स्थापित करने का अनुरोध किया है।

अनुबंध-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1480

संसद सदस्य का नाम: श्री बापी हलधर

उत्तर देने की तारीख: 09.12.2025

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना के अंतर्गत जारी निधियों का पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी निधियां**	**उपयोग की गई निधियां**
1	आंध्र प्रदेश	12110.58	12110.58
2	बिहार	0.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	2328.39	2328.39
4	गोवा	0.00	0.00
5	गुजरात	100.00	100.00
6	हरियाणा	1382.50	1382.50
7	हिमाचल प्रदेश	2483.47	2483.47
9	झारखंड	64.00	64.00
10	कर्नाटक	2477.19	2477.19
11	केरल	713.00	713.00
12	मध्य प्रदेश	2560.63	2560.63
13	महाराष्ट्र	1087.07	1087.07
14	ओडिशा	2175.01	2175.01
15	पंजाब	369.66	369.66
16	राजस्थान	100.00	100.00
17	तमिलनाडु	1702.16	1702.16
18	तेलंगाना	1745.87	1745.87
19	उत्तर प्रदेश	871.00	871.00
20	उत्तराखंड	3052.56	3052.56
21	**पश्चिम बंगाल**	**598.63**	**598.63**
22	अरुणाचल प्रदेश	3473.64	3473.64
23	असम	1089.29	1089.29
24	मणिपुर	2382.27	2382.27
25	मेघालय	3992.74	3992.74
26	मिजोरम	1334.51	1334.51
27	नागालैंड	1903.96	1903.96
28	सिक्किम	1209.08	1209.08
29	त्रिपुरा	1303.97	1303.97
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.07	13.07
31	चंडीगढ़	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00
34	दिल्ली	0.00	0.00
35	जम्मू और कश्मीर	3959.52	3959.52
36	लक्षद्वीप	59.00	59.00
37	पुदुचेरी	0.00	0.00
38	लद्दाख	335.80	335.80
	कुल योग	**56978.57**	**56978.57**

इसके अलावा, एनएलएम-ईडीपी (NLM-EDP) के अंतर्गत 3843 परियोजनाएंअनुमोदित की गई हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 2672.45 करोड़ रुपये और अनुमोदित सब्सिडी 1233.69 करोड़ रुपये की है। इनमें से 2014 परियोजनाओं को 354.06 करोड़ रुपये की सब्सिडी की पहली किस्त और 706 परियोजनाओं को 119.34 करोड़ रुपये की सब्सिडी की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है। ये सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को जारी की गई है और निधियां राज्य सरकारों को जारी नहीं की गई हैं। पश्चिम बंगाल में 7.07 करोड़ रुपये की परियोजना लागत की 14 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है और 3.05 करोड़ रुपये की सब्सिडी अनुमोदित की गई है। 14 परियोजनाओं में से 5 आवेदकों को 0.85 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त हुई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, राज्य सरकार को नहीं बल्किबैंक को जारी किए गए ब्याज सबवेंशन का ब्यौरा, निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	**7.66**
2	असम	**2.93**
3	बिहार	**13.41**
4	चंडीगढ़	**0**
5	छत्तीसगढ़	**11.9**
6	दिल्ली	**0.1**
7	गोवा	**0**
8	गुजरात	**34.31**
9	हरियाणा	**16.52**
10	हिमाचल प्रदेश	**0.11**
11	जम्मू और कश्मीर	**0.12**
12	झारखंड	**7.75**
13	कर्नाटक	**27.92**
14	केरल	**0.74**
15	मध्य प्रदेश	**38.44**
16	महाराष्ट्र	**72.66**
17	मणिपुर	**0**
18	नागालैंड	**0**
19	ओडिशा	**7.78**
20	पुदुचेरी	**0.13**
21	पंजाब	**18.12**
22	राजस्थान	**10.23**
23	तमिलनाडु	**63.48**
24	तेलंगाना	**41.42**
25	त्रिपुरा	**0**
26	उत्तर प्रदेश	**26.38**
27	उत्तराखंड	**0.56**
28	**पश्चिम बंगाल**	**13.55**
	कुल योग	**416.22**

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के अंतर्गत जारी निधियों का पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी निधियां**	**उपयोग की गई निधियां**
1	आंध्र प्रदेश	17102.31	17102.31
2	अरुणाचल प्रदेश	4070.35	4070.35
3	असम	3879.75	3879.75
4	बिहार	13377.85	13377.85
5	छत्तीसगढ़	1344.9	1344.9
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	6336.56	6336.56
8	हरियाणा	401.83	401.83
9	हिमाचल प्रदेश	6070.83	6070.83
10	जम्मू और कश्मीर	10273.8	10273.8
11	झारखंड	5345.78	5345.78
12	कर्नाटक	7457.77	7457.77
13	केरल	12155.13	12155.13
14	मध्य प्रदेश	21978.83	21978.83
15	महाराष्ट्र	4908.56	4908.56
16	मणिपुर	962.31	962.31
17	मेघालय	2777.43	2777.43
18	मिजोरम	1408.45	1408.45
19	नागालैंड	1941.82	1941.82
20	आडिशा	6525.73	6525.73
21	पंजाब	714.13	714.13
22	राजस्थान	2659.77	2659.77
23	सिक्किम	1939.07	1939.07
24	तमिलनाडु	19174.43	19174.43
25	तेलंगाना	5795.39	5795.39
26	त्रिपुरा	2524.17	2524.17
27	उत्तर प्रदेश	21267.29	21267.29
28	उत्तराखंड	13106.64	13106.64
29	**पश्चिम बंगाल**	9953.22	9953.22
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
31	चंडीगढ़	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	0	0
33	दमन और दीव	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0
35	लद्दाख	147	147
36	पुदुचेरी	357.85	357.85
	कुल योग	**205958.95**	**205958.95**

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD- घटक'क') के अंतर्गत जारी निधियों का पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	73.42	40.19
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3	असम	3.36	0.92
4	बिहार	104.18	104.18
5	छत्तीसगढ़	2.51	2.30
6	गोवा	0.40	0.40
7	गुजरात	177.14	166.87
8	हरियाणा	5.03	0.87
9	हिमाचल प्रदेश	26.89	26.55
10	जम्मू और कश्मीर	107.99	107.99
11	झारखंड	9.16	8.27
12	कर्नाटक	162.22	157.30
13	केरल	45.78	44.24
14	लद्दाख	0.50	0.50
15	मध्य प्रदेश	27.34	14.59
16	महाराष्ट्र	30.43	22.99
17	मणिपुर	14.17	7.15
18	मेघालय	38.85	38.85
19	मिजोरम	0.20	0.20
20	नागालैंड	4.11	4.11
21	ओडिशा	18.84	18.79
22	पुदुचेरी	4.81	3.29
23	पंजाब	99.09	94.24
24	राजस्थान	113.02	107.36
25	सिक्किम	36.09	33.61
26	तमिलनाडु	142.12	140.87
27	तेलंगाना	21.54	20.02
28	त्रिपुरा	7.13	7.09
29	उत्तर प्रदेश	5.45	3.83
30	उत्तराखंड	23.42	23.42
31	पश्चिम बंगाल	0.71	0.71
	कुल योग	**1305.89**	**1201.72**